

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 5 /2022/2069524/2022
लखनऊ : दिनांक 04 मई ,2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि मेसर्स फैसिलिस इंडिस्प्यूटरिजोल्यूशन एल एल पी, डी-66, सेक्टर-6 नोएडा जिला-गौतमबुद्ध नगर द्वारा स्वामित्वाधीन नीचे विस्तृत रूप में उल्लिखित क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विनिर्दिष्ट समस्त फलों और सब्जियों के थोक सौंदों हेतु 20 वर्ष तक के लिये इस शर्त के साथ मण्डी उप स्थल होगा कि कृषक/विक्रेता से कोई मंडी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और न ही फुटकर व्यापार हेतु उक्त स्थान का प्रयोग किया जायेगा।

मंडी उप स्थल की खसरा एवं चौहददी

कृषि उत्पादन मंडी समिति, हापुड के मंडी क्षेत्र में अवस्थित खसरा संख्या-557, 558 तथा 559 और क्षेत्रफल 1672.80 वर्ग मी० ।

ग्राम खेडा-देहात, तहसील-धौलाना, जिला-हापुड

पूरब - भूमि अन्य (खसरा संख्या-559 व 558 का शेष भाग)।

पश्चिम - भूमि अन्य (खसरा संख्या-557 व 559 का शेष भाग)।

उत्तर - रास्ता व नाला।

दक्षिण - पिलखुवा धौलाना रोड।

डॉ० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

.....2

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 5/2022/2069524/2022,तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय,ऐशबाग,लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 04-5-2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए उसकी मुद्रित 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
2. निदेशक,कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय,उ०प्र०
3. निदेशक,राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ०प्र०,लखनऊ।
4. जिलाधिकारी,हापुड।
5. सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हापुड।
6. **M/S FACILIS EDISPUTERESOLUTION LLP** डी-66, सेक्टर-6 नोएडा जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**Uttar Pradesh Shasan
Krishi Vipran evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. - 5/2022/2069524/2022 dated 04 May,2022

NOTIFICATION

No. 5 /2022/2069524/2022

Lucknow, Dated: 04 May,2022

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) read with rule 58-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965, the Governor is pleased to declare that the area detailed below owned by M/S FACILIS EDISPUTERESOLUTION LLP, D-66, Sector-6, Noida, District- Gautam Buddh Nagar shall be Market Sub-Yard for specified wholesale transaction of all fruits and vegetables with effect from the date of publication of this notification in the Gazette upto 20 years, with the condition that no mandi fee shall be charged from agriculturist-seller and the place shall not be used for retail trade.

Khasra and Boundaries of the Market Sub-Yard

Khasra No. 557, 558 and 559, Area 1672.80 square meters located within the market area of Krishi Utpadan Mandi Samiti, Hapur.

Village Khera-Dehat, Tehsil-Dhaulana, District-Hapur.

East : Other land (remaining part of Khasra No.-559 and 558).
West : Other land (remaining part of Khasra No.-557 and 559).
North : Rasta and Nala
South : Pilkhua-Dhaulana Road.

By order,

Dr. Devesh Chaturvedi
Additional Chief Secretary

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।